राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) माण्डल जिला– भीलवाड़ा

/नामा.रिमाण्ड/2017/ दिनांकः 29/05/2017

उनवान

1. श्रीमति पारस देवी पत्नी गोपाल बलाई
2. श्री दिनेश पुत्र गोपाल ना.बा.
   संरक्षिका – माता पारस
3. सुश्री सोनिंया पुत्री गोपाल बलाई
   सरंक्षिका – माता पारस, नि. भालड़ीखेड़ा(मांडल)

अपीलार्थीगण

1. श्रीमति चांदी पत्नी धन्ना बलाई, नि. भीलवाड़ा
2. ग्राम– पचांयत भादू रेस्पोडेन्टगण

रिमाण्ड प्रकरण विरूद्ध नामान्तरण संख्या 566 दिनांक 5.07.2011

निर्णय

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल ने अपने अपील नामान्तकरण प्रकरण संख्या–14/11 निर्णय दिनांक 21.11.13 में यह आदेश पारित किया कि ग्राम– भालड़ी खेड़ा के नामान्तकरण सख्या–566 दिनांक 5.7.2012 को अपास्त किया जाकर नामा. इस निर्देश के साथ इस कार्यालय को रिमाण्ड किया जाता है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधि के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय करें,

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुनः निर्णय की कार्रवाई आरंभ की गई।

उक्त प्रकरण में गोपाल पुत्र एकलिंग बलाई निवासी– भालड़ी खेड़ा की दिनांक 16.05.2011 को मृत्यु हो चुकी थी, जिसका प.ह. भादू ने नामा. संख्या 566 दर्ज कर उसके निम्न वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया दिनेश, सोनिया पिता गोपाल ना. बा. सं. माता पारस देवी पत्नी स्व. गोपाल व पारस देवी पत्नी गोपाल बलाई के नाम दर्ज किया था, उक्त नामान्तरण में ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय दिनांक 5.07. 2011 में उक्त वारिसान के मृतक की माता जो नाते चली गई थी का भी नाम जोड़कर निर्णय किया गया। चान्दी का नाम जोड़ने से मृतक की पत्नी ने धारा–75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यंहा अपील की गई, जिसमें न्यायालय ने नामा. संख्या 566 को अपास्त कर पुनः निर्णय के आदेश प्रदान किये गये है।

उक्त प्रकरण में मृतक गोपाल की पत्नी पारस देवी व माता चान्दी देवी में आपसी राजीनामा हो चुका है. दोनों ने मृतक गोपाल की भूमि पर मृतक गोपाल के पुत्र दिनेश ना.बा. को 1/4 पुत्री सोनिया ना.बा. को 1/4 पत्नी पारस देवी 1/4 व माता चान्दी देवी को 1/4 हिस्सा देना तय कर आपसी राजीनामा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

आज्ञा

उक्त प्रकरण में स्व. गोपाल पुत्र एकलिंग बलाई निवासी– भालड़ीखेड़ा प.ह. भादू की विरासत के सबंध में ग्राम पंचायत–भादू द्वारा नामान्तकरण संख्या–566 निर्णय दिनांक 5.07.2012 में मृतक के सभी विधिक वारीसान को सम्मिलित कर लिया हैं, इसलिए ग्राम पंचायत–भादू द्वारा निर्णित नामान्तरण सख्या–566 निर्णय दिनांक 5.07.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना अनुचित है।

अतः ग्राम पंचायत–भादू द्वारा निर्णित नामा. सं. 566 निर्णय दिनांक 5.07.2012 को यथावत रखा जाता है। प.ह. भादू को पालानार्थ लिखा जावें, पत्रावली नम्बर से क्रम हों।

कार्यालय तहसीलदार [भू.अ.] मांडल
जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/LR/2017/596 दि 28/06/2017

तहसीलदार (भू.अ.) माण्डल
जिला भीलवाड़ा

पटवारी हल्का – ~~भादू~~ गेगास को भेजकर लिखा है कि निर्णय अनुसार पालना करे। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

D:\AOK\dev.doc

तहसीलदार (भू. अ.) माण्डल
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner